न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00121RAAJodhpur2019-53RTA225 Manoharram ors Vs Birdaram

01. मनोहरराम पुत्र श्री रामुराम
02. बरजू पत्नी श्री बचनाराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम खेतोलाई, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. बिड़दाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासीगण- ग्राम खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर(वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 14 मई 2018 सहायक कलक्टर फलोदी लोक अदालत केम्प खारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2018 बिड़दाराम बनाम मनोहरराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री पुनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिसंबर 2024

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2018 अनवान बिड़दाराम बनाम मनोहरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 जून 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 190 रकबा 21.05 बीघा, खसरा नं. 315 रकबा 401.09 बीघा, खसरा नं. 44 रकबा 240.09 बीघा, खसरा नं. 193 रकबा 241.15 बीघा, खसरा नं. 17 रकबा 490.13 बीघा ग्राम खारा के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 मई 2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो बहाल रखने काबिल नहीं है। राजस्व लोक अदालत में केवल आपसी सहमति से ही मामले का निस्तारीण किया जा सकता है। किसी प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जबकि वास्तव में रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र खारिज करने काबिल था। रेस्पोडेंट द्वारा इकरारनामा के आधार पर घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में पेश किया है। कानूनन इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय घोषणा करने में सक्षम नहीं है। इकरारनामा के आधार पर वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत कैम्प में सरसरी तौर पर निर्णित कर दिया, जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु को अलग-अलग

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तय करना जरूरी है। अपीलार्थी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए अपीलांट्स के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब में चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सूचित किये बिना ही पत्रावली को लोक अदालत कैम्प खारा में रखकर निस्तारित कर दिया, जिससे अपीलांट्स को आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 20.05.2019 को रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने की धमकी दिये जाने तथा अपीलाधीन आदेश का जिक्र किये जाने पर दिनांक 21.05.2019 को आलौच्य आदेश की नकल लेने पर प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर म्यार शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 मई 2018 को अपास्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेंट्स द्वारा इकरारनामा दिनांक 09.05.1988 के जरिये वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है जो प्रथमदृष्टया सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का विषय प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2018 को अपीलांट्स का जवाब बंद कर पत्रावल को बहस हेतु मुकर्रर कर आगामी पेशी दिनांक 14.05.2018 दी गई। दिनांक 14.05.2018 को पत्रावली विचारण न्यायालय में पेश नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होकर राजस्व लोक अदालत केम्प खारा में रखी गई, जिसकी सूचना अपीलांट्स को दिये जाने बाबत नोटिस इत्यादि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत केम्प में प्रार्थी/रेस्पो. को एकपक्षीय सुनते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2018 अनवान बिड़दाराम बनाम मनोहरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2018 अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर